# कार्यालय ग्राम पंचायत - कार्य

कमांक / ओएफसी / तन / अनुमोदन / 2016-17 / 0.3

दिनांक : 10/05/2016

## 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केंबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र एो तक कुल कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त रथल में 4 जी टेलीकॉय सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

ptling and and area

ग्राम पंचायत्ती, व. कारकारपांच..... ज. चं. बकावंड

## कायलिय

#### का कार्यवाही विवरण

ग्रामः 🕹	1 Eylmas	*		
स्थानः	and the principal of I		दिनांक	
	भारत विजांक २००१०	ति रेस्ट माम सिंहिपाल वर्र के	प्यांच भी श्रीमती लिए	
and a	2 000 14410	क्षा भार मार्ट ता जा जा है।	सरपद आ/आनता	
		बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम		
		थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की र		
		कने (गैर वानिव		
के व्यपवर्तन	हितुहे. वन भूमि	नेहे. राजस्व वन भूमि, कुल .	हे. वन भूमि की	
मांग की गई	है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत	ा चर्चा की गयी।		
2.	प्रस्तावं के लक्ष्य, उद्देश्य ए	वं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने	वाली वन भूमि के उपयोग	
बाबद ग्राम	समा की बैठक में विस्तार से ग	हन चर्चा की गयी।		
3.	इस वन व्यावर्तन प्रकरण वे	र परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अ	प्रन्य परंपरागत वन निवासी	
(वन अधिव	गरों की मान्यता) अधिनियम, 2	006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की ग	ायी। जो वन भूमि	
	कार्य के व्य	पवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी	अदिवासी, गैर परंपरागत	
वनवासी इ	इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि	वे कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिवि	वि नहीं संपादित कर रहे हैं	
एवं कोई	एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस			
प्रस्तावित	वन भूमि पर नहीं दिया गया है	Ī		
		अथवा		
	निम्न आदिवासी / गैर परंप	परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिका	र मान्यता पत्र वितरित किया	
गया है:				
क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का '	रकबा (हे.में)	
		नाम		
	मद्रपालवरी			
	अतः यह एकमत से ग्राम	सभा में निर्णय लिया गया कि	हे. वन भूमि /हे.	
राजस्वं	वन भिन, कल योग	.हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन	हेतु मेसर्स	
(आवेदव	p)	। अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसा	र व्यपवर्तित की जावे।	
			late	
		1	हस्ताक्षरश्रीमंती लता वर्षेत	
	77	Steleto	नाम आम पंचायत महुपालकर क्रतपंद पंचायत बस्तर	
	-	व वंशायंत महपालवरई	सरपंच	
*	- I	नषद पंचायत वस्तर (छ.ग.)	ਪੀਲ	

उपस्थित सदस्य गणः

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अगूंठा निशान

कार्यालय ग्राम पंचायत –
कार्यालय ग्राम पंचायत —
विषय: - आप्टिकल फाइवर बिछाए जाने के संबंध में
अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत
अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में 4 जी
टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत हारा अनुमोदित किया जाता है।
अर्मन जी के गाग का जा के जा ज

## कार्यालय ग्राम पंचायत -५.५७१..... विकासखण्ड क्रिन्ट्र जिला क्रिन्ट्र

क्रमांक / ओएफसी / वन / अनुमोदन / 2016-17

दिनांक: 25/8/016

## 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक नेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा ४ जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आष्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपरिथत सदस्यों के हस्ताक्षर -

सरपंच सरपंच माम पंचायत च क्याम पंचा

ग्राम पंचायत यपका जनपद पंचायत-बरतर कार्यालय ग्राम पंचायत – ,विकासखण्ड जिला जिला जिल्ला अन्ति । जिल्ला जिला जिल्ला जिल्ला

## 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र 2021ता से 2021ता से 2021ता करने के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रनावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षित होगी।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपन्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आफ्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

प्राम् पंजायतस्त्रहरूका वे खं ज्याराज्यपुर १४ ग ग्राम पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायत –	TRACIA.
,विकासखण्ड लिस्त्रे	जिला

कमांक / ओएफसी / वन / अनुमोदन / 2016-17

दिनांक : 02/09/2016

## 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आप्टिकल फायबर केंबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपित नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केंबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

ग्राम प्रचार्नेर्पेप्रचलपाल ग्राम प्रमायनचाद्यत बस्तर

रन चिन ग्राम पंचायत परचनपाल जनपद पंचायत बस्तर

#### कार्यालय ग्राम पंचायत — सोनारपाल ,विकासखण्ड बस्तर जिला बस्तर

प्रति , रिलायंस जिया इनकोकाम लि. रायपुर (छ. म.) विषय :-- आन्टिकल फाइवर बिध्वए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि धाम पंचायत सोनारपाल के अंतंगत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क ) में रिलायंस जियों इन्फोकाम झारा एन. एच. 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम रोवा हेतु ऑप्टिकल फाइवर विधान हेतु वन भूगि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की रथल निरिक्षण की परिसर रक्षक एवं पंचायत रावस्तीं के झारा किया गया जो परिसर का क्षेत्र में है। यह कि उत्तर तन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षांते नहीं होगी ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत सोनारपाल को कोइ अपरित नहीं हैं।

अतः यन राष्ट्रभण अधिनियम 1930 के तहत उक्त रथल में व<sup>ा</sup> टेलीकाम सेवः के लिए ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछने का घरनाव धाम पंचायत सोनारपाल उत्तर अनुमोदित किया जाता है।

गरपाल क्रस अनुभावित किया जाता है। डगाटन किस्तेन २४-४-०० के ज्ञान लगा चिन्ह के क

<u>सदस्य</u>

Mile de Constantina d

्राक्षण्याः अक्षण्याः अस्यक्षयाः अस्यक्षयाः

(Minus) 3 (P)

E=\$P084./

Mark &

अनेहला, दीभ्य

ने प्रमाणिक स्थापना । जिल्ला

	कार्यालय ग्राम पंचायत –
-	,विकासखण्ड जिलाजिला
	प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.) दि०- २५ ०५ । 6
	विषय :- आप्टिकल फाइवर बिछाए जाने के संबंध में
	अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अंर्तगत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम सेवा हेतु
1	ऑप्टिकल फाइवर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र में है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षिति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत किया जात है।
4	अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में 4 <sup>जी</sup> टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत
•	सदस्य जिस मिइ हाकुर — मिरि प्राप्त वरतर (छ.ग.) जनपद पंचायत बरतर (छ.ग.)
	अस्मा जायमाल लिखाइन किर्मेट

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत दिनांक : 01/9 | 2016

कमांक / ओएफसी / वन / अनुमोदन / 2016-17


### 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेत् वन परिक्षेत्र ..... तक कुल \_\_\_\_\_ कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नही होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केंबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपितत नहीं है । अनः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

ग्राम पंचायत ग्राम पंचाबल सारागांव



दिनांक : 06 (05 | 2016

## 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने
हेतु वन परिक्षेत्र से
तक कुल कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि
के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के
वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम
पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर – साचिव ग्राम पंचायत भानपुरी समप्रद पंचायत बस्तर

सरपंच सरपंच सरपंच प्राम पंचायत भानपुरी ग्राम पंचायत बस्तर

## जिले की कुल वन मुमि

बस्तर जिले कें अंतर्गत बस्तर वनमंडल, जगदलपुर का कुल वन भूमि निम्नानुसार है ।

(1)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4029.980 वर्ग कि.मी.
(2)	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
Ąr i	आरक्षित वंन	1083.761 वर्ग कि.मी.
F	संरक्षित वन	661.326 वर्ग कि.मी.
197	असीमांकित वन	466.720 वर्ग कि.मी.
	योग —	2211.807 वर्ग कि.मी.

(राजु अगसिमनि) (भा.व.से.) वनमञ्जलाधिकारी वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

## वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों भें प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हेक्टेयर में

बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रवीकृत प्रकरणों में निम्नानुसार वन भूमि प्रगावित हुआ है।

				•
कुमा	आंवेदित विभाग	परियोजना का नाग	वन भूगि	भारत शासन का स्वीकृति आदेश के.
an		. ·	रकबा (हे.में.)	-
1	सिंचाई विभाग	मोण्ड जॅलाशय	0.630	क.8-493/84/एफ.सी दिनांक 27,05.89
2	सिचाई विमाग	पीठापुर जलाशय	7.860	क.8-374/84/एफ.सी दिनांक 15.05.94
3	सिचाई विभाग	तारापुर जलाशय	19.448	क.8−327 / 84 / एफ.सी दिनांक 13.07.89
4	रक्षा विमाग भारत सरकार	रक्षा अनुसंधान	132.598	<b>क</b> .8-11/95/एफ.सी दिनांक 24.08.99
		एवं विकास		
5	जल संसाधन संभाग	कोसारटेड्। मध्यम	595.630	क.8-203/88/एफ.सी दिनांक 24.08.98
		सिंचाई परियोजना		
6	प्र.म.क्षा.स.थो. ग्राम	गिट्टी उत्खनन	2.400	क.6-493 / 84 / सी.एच.सी. / 032 / 05-वी.
	उडियापाल इरपा डिलमिली			एच.ओ. / 1977
				क.6-493/84/सी.एव.सी./031/05-बी.
			***	एघ.ओ. / 1972 दिनांक 29,09,05 दिनांक
			;   . · ·	29.09.05 एवं
			: .	<b>क.6</b> -सी.एच.सी./028/05-बी.एच.ओ.
				/ 1975 दिना क 29.09.05
\$ 1.34			*	\$ ·
7	થી <b>ા</b> લાજા	ेसडक चौडीकरण	37.031	कं.8-143/03/एफ.सी दिनांक 27.02.04
8	भारतीय मानव विज्ञान	सर्वेक्षण राग्रहालय	0.789	क.6-सी:एच.बी. / 048 / 07-बी.एच.ओ.
		निर्माण		/2588 दिनांक 20.10.09
9	एन,एम.डी.सी.	रेल लाईन निर्माण	10.763	क.6-सी.एच.बी./035/06-बी.एच.ओ./876
		· .	:	दिनांक 17.05.10
10	गेरार्श Chhattisgarh Energy	24.75 मेगावॉट	19.718	क. / ६–सी.एच.सी. / 015 / 2009–बी.एच.ओ.
	Consortium (India) Pvt,Ltd.	माडेर-1 जल		/ 2935 दि. 21.04.2011
	Raipur	विद्युत परियोजना		
111	परियोजना प्रबंधक एन.एग.	इंटीग्रेटेड स्टील	25.720	क्मांक/6-CHC/012/2010-BHO/3034
	डी.सी. आयरन एण्ड स्टील	प्लांट निर्माण हेतु		दिनांक 06.05.11
	प्लाट, नगरनार	(संज्ञाम्भि ६,800 एवं रा.वनसूर्य 23.520)	, y	Ģ

12	पुलिस अधीक्षक बरतर जगदलपुर	पुलिस चौकी निर्माण हेतु (राजन अन्तर्भ)	0.900	कमांक / 6 снв 062/2007- вно/257 दिनांक 03.02. 2011
13	कार्यपालन यंत्री अतिउच्च दाब (निर्माण एवं संघारण) संमाग छतीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल रायपुर	विद्युत लाईन निर्माण हेतु	4.712	क./6-снс/003/2010-вно/3066 दि. 12.05.2011
14	निदेशक एस.आई.बी. (५म.एच.ए.) जी.ओ.आई. , रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु (क्सर क्यूण)	0.232	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./एफ-5-4/2012/10-2 दि. 10.03.2014
15	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	कक्ष कमांक 1402पी में पुलिस चौकी निर्माण हेतु (ग्राम घोटिया)	1.000	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर क। पत्र क्र./एफ-5-4/2014/10-2 दि. 10.04.2015
	W W - 2 - 2 - 2	योग :-	859.431	

D

(राजु अगसिमनि) (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

## वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि हें. में

बस्तर वनमंडल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी केटेगरी के निम्न प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति नहीं दी गई है:-

> (राजु अगसिमनि) भा.व.से. वन मंडलाधिकारी बस्तर वनमंडल, जगदलपुर

## प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर रिथत है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

(छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं आता है।

> (राजु अगसिमनि) (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी वनमण्डल बस्तर जगदलपुर